

विषय: भिलाई इस्पात संयंत्र में ग्रेजुएट एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिस प्रशिक्षण संलग्नता हेतु ।

Sub: Application for engagement as Graduate and Technician apprenticeship in Bhilai steel plant.

- 1) भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा अप्रेंटिस अधिनियम 1961/1973 के अंतर्गत मात्र प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करने हेतु कुल 150 ग्रेजुएट इंजिनियर अप्रेंटिस प्रशिक्षु एवं 200 टेक्नीशियन अप्रेंटिस प्रशिक्षु हेतु एक वर्ष के लिए स्थान उपलब्ध है।

As per Apprenticeship Act 1961/1973, Bhilai steel plant invites application for engaging 150 Graduate apprentices and 200 Technician apprentices (for training only) for a period of 1 year.

a) For Graduate Engineers :

Discipline	Total	Gen	OBC	SC	ST
Mechanical engineering	35	17	5	4	9
Electrical engineering	30	16	4	3	7
Metallurgy engineering	50	24	7	6	13
Civil engineering	5	2	1	1	1
ECE/CSE/IT	30	16	4	3	7

b) For Diploma Engineers :

Discipline	Total	Gen	OBC	SC	ST
Mechanical engineering	50	25	7	5	13
Electrical	50	25	7	5	13
Metallurgy	60	30	8	7	15
Civil	5	2	1	1	1
ECE/CSE/IT	25	12	4	3	6
Instrumentation	10	6	1	1	2

- 2) पोर्टल में आवेदन करने की अंतिम तिथि: 29.09.2018

(आवेदक यह सुनिश्चित करे कि उनका ऑनलाइन आवेदन विज्ञापन अवधि में ही जमा हो। विज्ञापन अवधि के पूर्व अथवा बाद में जमा किये गए ऑनलाइन आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा)

Last date for applying in the portal: 29 .09.2018

(Applicants must ensure that the on-line application is submitted during the advertisement period only. Applications submitted prior to the advertisement date and after the cut-off date mentioned in the advertisement shall be summarily rejected)

- 3) यह अवसर अप्रेंटिस अधिनियम 1961/1973 (संशोधित) के तहत केवल प्रशिक्षण हेतु दिया जा रहा है । भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन किसी भी प्रकार का रोजगार देने के लिए उत्तरदायी नहीं है ।

The engagement is only for the purpose of training as per Apprenticeship Act, 1961/1973, as amended from time to time. Bhilai Steel Plant Management do not take responsibility for any employment/placement.

- 4) प्रदर्शित सीटों की संख्या अस्थाई है व नियुक्ति के समय में आवश्यकता के अनुरूप बदलाव हो सकता है ।

The no. of seats indicated is provisional and may vary depending on requirement at the time of engagement.

- 5) अप्रेंटिस अधिनियम 1961/1973 (संशोधित) के अनुसार उम्मीदवार द्वारा ना ही पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो अथवा न ही वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हो ।

The candidate should not have undergone Apprenticeship earlier or pursuing Apprenticeship Training currently as per the Apprenticeship Act 1961/1973 as amended from time to time.

- 6) भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा छात्रावास/आवास की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी । चयनित उम्मीदवार अपने आवास की व्यवस्था स्वयं करेंगे ।

No hostel/accommodation shall be provided by BSP. Selected candidates shall have to make their own arrangement.

- 7) छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवारों (छत्तीसगढ़ मूल निवासी)को प्राथमिकता दी जायेगी । परंतु यदि निर्धारित सीटों का कोटा चयन प्रक्रिया के दौरान नहीं भरा जा सका तो अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के आवेदन पर विचार किया जा सकता है ।

Applicants from C.G. (domicile) shall be given preference over that from other States. In case of insufficient no. of applications from within Chhattisgarh state, application from other States may be considered.

चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगी।

Selection process would be on merit basis.

- 8) चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रशिक्षार्थी को यात्रा भत्ता अथवा कोई भी अन्य भत्ता देय नहीं होगा ।

No claim towards TA/DA or any other allowance is admissible during selection process.

9) उम्मीदवारी की पात्रता :

शासकीय एवं अशासकीय प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे। परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं अप्रेंटिस प्रशिक्षु के रूप में दाखिल होने के बीच का अंतर तीन वर्ष से अधिक न हो।

Students passed out from Govt/Private institutes are eligible to apply. The gap between date of passing-out of the qualifying exam and the date of engagement as apprentice shall not exceed 3 years.

10) आवेदन करते समय निम्नांकित परिपत्रों [क्र. (i) से क्र. (vi) तक] की स्कैन(scan) कापी स्वयं सत्यापित कर निम्नलिखित पोर्टल में अपलोड करें ।

While applying, scanned copy (self-attested) of the following documents [sl.(i) to (vi)] shall be uploaded in the portal (portal address given below)

• पोर्टल एड्रेस / Portal address :

<https://portal.mhrdnats.gov.in/boat/commonRedirect/registermenu/registermenu.action>

i) फोटोग्राफ

Photograph

ii) इंजिनियरिंग (ग्रेज्युएट इंजिनियर प्रशिक्षु के लिए)/पालिटेकनिक (टेक्नीशियन अप्रेंटिस प्रशिक्षु के लिए) की अंतिम वर्ष की अंक सूची एवं consolidated mark-sheet / Provisional Certificate.

Engineering (For Graduate apprentices) / Diploma (For Technician apprentices) final year mark-sheet and consolidated mark-sheet / Provisional Certificate

iii) उम्मीदवार प्रशिक्षु जिनका परिणाम CGPA / CPI में अंकित हो, वह अपने परिणाम को प्रतिशत में (अपने कालेज/यूनिवर्सिटी के कनवर्शन फार्मूला के अनुसार) संदर्भित दस्तावेज के साथ आनलाईन एप्लिकेशन में उल्लेख करें (CGPA/CPI के अंको को प्रतिशत में परिवर्तित न करने अथवा संदर्भित दस्तावेज प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जा सकता है)।

Candidates whose result is in the form of CGPA/CPI, shall enter their result in percentage as per the conversion formula of their respective college/universities with supporting document. (Non-conversion of CGPA/CPI in % or non-submission of supporting document will make the application liable for rejection)

iv) मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी शासकीय चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित। शासकीय चिकित्सक का रजिस्ट्रेशन नंबर सील पर अंकित हों अथवा चिकित्सक के लेटर हेड पर अंकित हों। हस्तलिखित रजिस्ट्रेशन नंबर वाले प्रमाणपत्र स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।

Medical Fitness Certificate issued by any Govt doctor. The registration number of the doctor should be a part of the Seal on the Certificate or printed on the letter head. Certificate bearing Hand- written medical registration no. shall not be accepted.

v) जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति/जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए (छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जारी किया हुआ)
Cast Certificate, in case of SC/ST/OBC candidates (issued from the state of Chhattisgarh only).

vi) मूल निवासी प्रमाण पत्र (उपरोक्त कंडिका 7 के अंतर्गत विचार हेतु) – केवल छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जारी ।

Domicile certificate (for consideration under clause 7 above) issued from the state of Chhattisgarh only.

11) दस्तावेजों/परिपत्रों के प्रत्यक्ष सत्यापन हेतु उम्मीदवार प्रशिक्षु को काल लेटर (उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए e-Mail ID /mhrd portal पर) जारी किया जाएगा जिसके अनुसार उन्हें उपरोक्त सभी दस्तावेजों/परिपत्रों की मूल प्रति, छायाप्रति एवं 6 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ निर्धारित समय एवं स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा ।

Shortlisted candidates will be called for document verification (through e-mail, on mail-address given by them in their application / mhrd portal) as per which they have to report at the designated place and time along with 6 passport size photos and the original and Xerox copies of the documents mentioned above.

12) संलग्नता हेतु वरीयता इस प्रकार होगी :

अ. शासकीय प्रशिक्षण संस्थान के उम्मीदवार ।

ब. अशासकीय प्रशिक्षण संस्थान के उम्मीदवार ।

Order of preference for selection is as follows:

a) Govt college pass-outs

b) Private college pass-outs

13) चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगी ।

(मेरिट लिस्ट में पहले सभी शासकीय महाविद्यालय/संस्थान के आवेदकों को स्थान दिया जाएगा । तत्पश्चात् गैर शासकीय महाविद्यालय/संस्थान के आवेदकों को स्थान दिया जाएगा ।

Selection process would be on merit basis.

(Merit list will be prepared first considering all applicants passed out from Govt College / Institution followed by the applicants passed out from Private College / Institutions)

14) ग्रेज्युएट इंजिनियर अप्रेंटिस एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिस की छात्रवृत्ति का निर्धारण **BoAT** द्वारा समय-समय पर किया जाता है, देय होगा ।

Stipend rates for Graduate/Technician apprentices shall be as notified by BoAT from time to time.

- 15) चयनित प्रशिक्षुओं को उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए e-Mail ID / mhrd portal पर सूचित किया जाएगा, जिसके अनुसार प्रशिक्षु निर्धारित समय एवं स्थल पर उपस्थित होंगे।
Candidates shall be informed about their selection via email (on mail address given by them in their application)/ mhrd portal as per which they have to report at the designated place and time.
- 16) चयनित प्रशिक्षुओं को पत्र जारी होने के अधिकतम दो सप्ताह के अंदर प्रशिक्षण कार्यालय पहुंच कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना आवश्यक होगा, इस अवधि तक प्रशिक्षण कार्यालय पर न आने से प्रशिक्षु का चयन रद्द माना जाएगा।
Selected candidates shall have to report at the training centre latest within two weeks of receiving offer letter failing which their selection shall stand cancelled.
- 17) सेल/बी.एस.पी. प्रशासन, आवेदक का चयन ना होने या बुलावा न मिलने पर जवाब देन के लिये उत्तरदायो नही होगा। जमा किये गए आवेदन के संबंध मे किसी भी व्यक्ति या संगठन से पत्राचार नही किया जाएगा।
SAIL/BSP Management does not take any responsibility to reply to the candidate/organization for non-selection /non-issuance of call letter.

सामान्य निर्देश :

General instructions :

1. अपूर्ण आवेदन या ऐसे आवेदन जिसमें संदर्भित पत्रों का स्वयं सत्यापन नहीं किया गया है या ऐसे आवेदन जिसमें निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं किया गया है या ऐसे आवेदन जोकि निर्धारित समय पर जमा नहीं किए गए हैं, को निरस्त किया जायेगा।

Incomplete applications / applications not supported by self-attested copies of relevant documents/ application not meeting the prescribed eligibility criteria or applications received after the last date stipulated for receipt of applications shall be summarily rejected.

2. चयन संबंधी सभी विषयों जैसे कि पात्रता, आवेदन पत्र को मान्य या अमान्य करना, चयन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया को आंशिक या पूर्ण निरस्त करना आदि सभी संदर्भों में भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। रिक्त पदों को उम्मीदवार की पात्रता के अनुरूप चयन करने का निर्णय प्रबंधन के पास होगा। इस प्रक्रिया में किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार की दावा या आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

The decision of Management will be final and binding on candidates on all matters relating to eligibility , acceptance or rejection of the application, mode of selection , cancellation of the selection process (either in part of full) etc. Filling up of the vacancies is solely at the discretion of the management based on suitability of candidates. No claim will be entertained from the applicants regarding engagement.

3. किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी सभी प्रमाण पत्रों के समुचित प्रमाणिकरण होने तक अस्थाई होगी। यदि उम्मीदवार द्वारा प्रबंधन को किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दी जाती है या कभी भी पाई जाती है तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।

The candidature of the candidates would be provisional and subject to subsequent verification of certificates / testimonial, at any stage of the selection process. At any point of time, if it is found that the candidate has furnished false or incorrect information then the candidature / engagement of the candidate shall be cancelled.

4. सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे mhrd portal एवं अपने e-Mail की नियमित जाँच करते रहें।

Candidates are advised to check their e-Mail and mhrd portal regularly.

5. जिन्होंने BoAT के वेब पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन किया है और जिनका verification of documents (BoAT के द्वारा) पूर्ण हो चुका है वे भिलाई इस्पात संयंत्र में आवेदन करने के लिए निम्न लिखित steps का पालन करें:

After registration on BoAT web portal by the candidate, their documents shall be verified by BoAT. Then the following steps have to be followed by the candidates for applying against Bhilai Steel Plant

Login using ID → Establishment Requests (it will be seen on the top of the web page) → Find establishment → Upload resume → Search for Bhilai → Click BSP → Apply (Apply button appears on top left hand corner)